निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 29 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (देहरादून) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभयन्ता (देहरादून) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 08/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23/08/2017 से 28/08/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार, स.ले.प.अ., श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 21/08/2014 से 24.08.2014 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2008 से 02/2014 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2004 से 07/2017 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलक अधकार क्षेत्रः नहरों, बाढ़ सुरक्षा एवं गुलों का निर्माण, देहरादून , उत्तरकाशी, चमोली।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आधक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	2700, 2701, 2702, 2711			5542.40	5538.22		4.18
2015-16	2700, 2701, 2702, 2711			5502.14	5359.16		142.98
2016-17	2700, 2701, 2702, 2711			743.26	742.92		0.34

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	CSSR, SPA(R)		3937.69 404.82		
2015-16	AIBP केन्द्र पुरोनिधनित योजना CSSR SPAR		140.00 551.40 3512.67 1154.83		
2016-17	CSSR		1609.55		0.25

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई C श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता स्तर 9
अधीक्षण अ भयन्ता
खण्डीय कार्यालय

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (देहरादून) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (देहरादून) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2017 एवं 04/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक .... से .... का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह N/A तथा N/A तक की गई।
5. फार्म 51: माह N/A तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ....N/A...........

   भाग द् वतीय ....N/A............

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह N/A के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	N/A
(ख)	सामग्री क्रय	
(ग)	नगद परिशोधन	
(घ)	निक्षेप	
(ङ)	भण्डार	

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

<u>भाग-दो 'ब'</u>

प्रस्तर 1- वभागीय श थलता के कारण ग्राहक वभाग से 143.32 लाख की वसूली का लंबित रहना।

मुख्य अ भयन्ता (स्तर-II), संचाई वभाग, देहरादून की लेखा परीक्षा में पाया गया (अगस्त 2017) क वभाग के अंतर्गत जनपद देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी एवं चम्पावत में RAMSA के द्वारा स्वीकृत 98 कार्यों के सापेक्ष वभाग द्वारा 95 कार्य पूर्ण (वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14) कए गए थे जिनमें से 72 कार्य ग्राहक वभाग को हस्तगत भी कर दिये गए थे। कन्तु ग्राहक वभाग द्वारा उक्त कार्यों हेतु कुल 2643.26 लाख की धनरा श अवमुक्त की गई थी जिसके सापेक्ष वभाग द्वारा (कार्यदायी संस्था) 2786.92 लाख की धनरा श व्यय की गयी थी जो अवमुक्त धनरा श से 143.32 लाख अ धक थी एवं इसकी वसूली वभाग द्वारा वर्तमान तक नहीं की जा सकी थी।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर में बताया गया क RAMSA के साथ हुए MoU के अनुसार अंतिम कश्त का भुगतान कार्य के हस्तगत होने के उपरान्त कया जाता है। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा उक्त धनरा श की वसूली के प्रयास कए जा रहे हैं तथा उक्त हेतु मण्डल कार्यालय को निर्दे शत कर दिया गया है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क MoU के अनुसार कार्य हस्तांतरण के 30 दिनों के अंदर ग्राहक वभाग द्वारा अवशेष धनरा श का भुगतान निर्माण एजेंसी को कया जाना प्रा वधानित था। जब क उक्त लंबित धनरा श वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के मध्य की थी।

अतः वभागीय श थलता के कारण ग्राहक वभाग से 143.32 लाख के लंबित वसूली का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु 888.74 लाख की धनरा श की वसूली का लंबित रहना।

मुख्य अ भयन्ता (स्तर-2) संचाई वभाग, देहरादून की लेखापरीक्षआ में पाया गया (अगस्त 2017) क वभाग के अंतर्गत व भन्न खण्डों द्वारा नि र्मत व भन्न नहरों में से 72 नहरें ऐसी थी जो लोक निर्माण वभाग द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी (वर्ष 2004 से वर्ष 2017 के मध्य)। उक्त क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु संचाई वभाग को 1001.47 लाख की धनरा श लो.नि. व. से प्राप्त की जानी थी कन्तु वभाग द्वारा वर्तमान तक मात्र 112.73 लाख की धनरा श प्राप्त की गयी थी जब क 888.74 लाख की वसूली अभी भी लंबित थी जिससे संचन क्षमता भी प्रभा वत थी।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उक्त को स्वीकार्य कराते हुए उत्तर में बताया गया क धनरा श की वसूली हेतु लो.नि. व. से पत्राचार कया जा रहा है तथा अस्थायी रूप से नहरों की मरम्मत कर कास्तकारों को संचाई की सु वधा प्रदान की जा रही है।

वभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट हौ क वभाग द्वारा लो.नि. व. से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु 888.74 लाख की धनरा श की वसूली लंबित थी जिससे नहरों का निर्माण नहीं हो पा रहा था । इस सन्दर्भ में यह भी इं गत करना है क वभाग द्वारा लो.नि. व. से धनरा श की वसूली हेतु कए गए प्रयासो के साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कए गए।

अतः वभागीय श थलता के कारण लो.नि. व. से क्षतग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु 888.74 लाख की धनरा श की लंबित वसूली का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
Eco/WAD AIR No/31/2014-15	-	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (देहरादून) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री वनोद कुमार पन्त	मुख्य अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे। (लागू नहीं)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (देहरादून) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
आ र्थक खण्ड-II